प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, विशाल कॉम्प्लेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या : एस0पी0एम0यू0/14/नियोजन/2011–12// 726-72 **दिनॉक :** 9.08.2011

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यकम का वर्ष 2011–12 में समुचित संचालन।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि आपके जनपद में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 2008–09 से संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विगत वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड क्षेत्र में 60 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5 तक) के छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

वर्ष 2011–12 में विकास खण्ड के अंतर्गत पूर्व से आच्छादित 60 विद्यालयों के साथ–साथ 10 नये विद्यालय भी आच्छादित किये जाने हैं। अतः आप अपने जनपद में शिक्षा विभाग के समन्वय के साथ तत्काल 10 नये विद्यालय चिन्हित कर लें तथा निम्नवत दिशा–निर्देशों के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की कार्ययोजना भी तैयार कर लें।

जनपदीय कार्य योजना

विगत वर्ष जनपदीय/विकास खण्ड स्तरीय कार्ययोजनाएं तैयार की जा चुकी है। इन दोनों कार्ययोजनाओं में इस वर्ष के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन करते हुए कार्यकम का संचालन किया जाय। इस गतिविधि के लिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी का सहयोग लेते हुए कार्यवाही की जानी है। कार्यक्रम माह अगस्त, 2011 से सघनता से चलाया जाना है।

जनपद स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला– स्वास्थ्य विभाग व विभिन्न सहयोगी विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को कार्यक्रम की बृहद जानकारी दिए जाने के लिए जनपद स्तर पर एक संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की जानी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक, विकास खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स, शिक्षा विभाग के जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी, मिड–डे मील योजना के जनपदीय समन्वयक, जनपदीय प्रशासनिक अधिकारी, आई0सी0डी0एस0/ पंचायती राज/डूडा/ग्राम्य विकास के जनपदीय अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्था/मीडिया के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाये। **प्रयास किया जाना है कि इस कार्यशाला का शुभारम्भ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जाय।** कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद के लिए ₹ 15,000.00 की धनराशि की व्यवस्था की गई है। कार्यशाला

का आयोजन माह अगस्त के तृतीय/ चतुर्थ सप्ताह में किया जाना है, जिसके आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निम्न प्रारूप पर तत्काल भेजी जाय, तभी कार्यशाला के आयोजन के लिए 75 प्रतिशत धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त की जाएगी।

कार्यशाला के आयोजन की तिथि	कार्यशाला के आयोजन का स्थान	विभिन्न गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली धनराशि का अनुमानित आगणन (₹ 15,000.00 धनराशि की सीमा के अन्दर)

कार्यशाला के आयोजन की रिपोर्ट, वीडियो/फोटो क्लिपिंग्स तथा व्यय विवरण प्राप्त होने पर शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

इस कार्यशाला में कार्यक्रम के जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण किया जायेगा, जिसमें आच्छादित आयु वर्ग से सम्बन्धित जनपद विशेष के आंकड़े (डी0एल0एच0एस0–3) सम्मिलित किये जायें तथा उनके सुधार हेतु की जा रही गतिविधियों से प्रतिभागियों को अवगत कराया जाये, जिससे कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार होगा। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा कार्यशाला के आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने–अपने विभाग के क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा कराया जाये, जिससे प्रत्येक गाँव में इस बात की पूर्व जानकारी हो कि उनके विद्यालय में किस तिथि को मेडिकल टीम पहुँचेगी और शत–प्रतिशत बच्चों एवं यथासम्भव अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी।

आपके जनपद में कार्यक्रम के समुचित संचालन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल अधिकारी नामित हैं, जिनका विवरण निम्न तालिका के अनुसार भेजना सुनिश्चित करें:–

नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर	ई–मेल आई0डी0

कार्यशाला का अनुश्रवण:–

मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा अपेक्षित है कि वे अपने मण्डल के समस्त जनपदों में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित रहकर सहयोग प्रदान करें। अतः मण्डल के अन्तर्गत जनपदों में पृथक–पृथक तिथि में कार्यशाला का आयोजन किया जाय। कार्यशाला के समुचित आयोजन का उत्तरदायित्व जिला नोडल अधिकारी का होगा। प्रत्येक दशा में कार्यशाला की वीडियो रिकॉर्डिंग/फोटो क्लिपिंग्स ली जाय तथा कार्यशाला के आयोजन के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर सी0डी0 एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम

विगत वर्ष के अनुसार मेडिकल टीम द्वारा विद्यालय (समस्त 70 विद्यालय/विकास खण्ड) में वर्ष में एक बार भ्रमण हेतु पी0ओ0एल0/डीजल के लिए ₹ 300.00 प्रति भ्रमण का प्राविधान है, परन्तु यह धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी, जब जनपद से विकास खण्ड/विद्यालयवार विस्तृत माइक्रोप्लान निर्धारित प्रपत्र पर एस0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2011 है।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि भ्रमण के दौरान ही समस्त लॉजिस्टिक्स प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध करा दी जाय तथा विद्यालयों में रखे गये उपकरण एवं रजिस्टर, बाल स्वास्थ्य कार्ड, रेफरल स्लिप के समुचित उपयोग एवं रख–रखाव के भी निर्देश दिये जायें। साथ ही विद्यालयों को दी जा रही आयरन फोलिक एसिड एवं डी–वर्मिंग की गोलियों को सुरक्षित रखने हेतु स्थान का चयन करते हुए प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाय। **समस्त विकास खण्ड स्तरीय चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि माइक्रोप्लान के अनुसार मेडिकल टीम के भ्रमण के लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।**

मेडिकल टीम में निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय :

(अ) चिकित्सा अधिकारी (संविदा चिकित्सा अधिकारी को प्राथमिकता दी जाए)

(ब) पैरा मेडिकल स्टाफ (स्टाफ नर्स/फार्मेसिस्ट/एच0वी0/ए0एन0एम0) में से एक

(स) रिफ्रेक्शनिस्ट (यथा उपलब्धता)

(द) संविदा डेन्टिस्ट/डेन्टल हाईजीनिस्ट (यथा उपलब्धता)

मेडिकल टीम द्वारा प्रत्येक शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण निम्न बिन्दुओं पर किया जायेगाः

- बच्चे का वजन एवं लम्बाई।
- बच्चे की दृष्टि (vision) की जॉच एवं आवश्यकतानुसार चश्मे हेतु संदर्भन।
- बच्चे के नाक, कान, गले एवं दॉतों की जॉच।
- बच्चे का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं त्वचा सम्बन्धी रोगों की क्लीनिकल जॉच।
- अन्य बिन्दु जो सामान्य परीक्षण में देखे जा सकते हैं।

उपर्युक्तानुसार स्वास्थ्य परीक्षण के साथ–साथ प्रत्येक बच्चे को प्रथम बार डिवर्मिंग की गोली चिकित्सक की उपस्थिति में दी जायेगी और साथ ही जितने शिशुओं का परीक्षण हुआ है, उनमें से प्रत्येक के लिए 100 गोलियों की दर से आई0एफ0ए0 गोलियां पैकिंग समेत सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को दी जायेंगी। प्रशिक्षित अध्यापकों का यह दायित्व होगा कि वह इन गोलियों को बच्चों को सप्ताह में दो बार नियत दिवसों पर "मिड डे मील" के साथ खिलवायें। डिवर्मिंग गोली की दूसरी खुराक बच्चों को छः माह पश्चात् प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी जायेगी।

विद्यालय में रखे गये रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार कॉलम बनवाये जायं तथा संदर्भित किये गये बच्चों का अंकन एवं प्राप्त उपचार के पश्चात विवरण अवश्य भरा जाय। इसको सुनिश्चित करने के लिए जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर को उत्तरदायित्व दिया जाय।

उपर्युक्त जॉच के साथ–साथ मेडिकल टीम द्वारा बच्चों एवं उपस्थित अभिभावकों को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं हाईजीन के बारे में परामर्श दिया जायेगा। विशेष तौर पर भोजन के पूर्व व शौच के पश्चात साबुन से हाथ धोना, नाखून काटना, बालों के जुँए साफ करना, नियमित रूप से स्नान करना, साफ कपड़े पहनना आदि।

जिन बच्चों में विशेष मेडिकल समस्या परिलक्षित होती है, तो संदर्भन हेतु उनका पूरा विवरण रेफरल स्लिप (गुलाबी रंग की रेफरल स्लिप डुप्लीकेट में छपवाकर) पर भरकर प्रधानाध्यापक को इस आशय से दिया जायेगा कि वह बच्चे के अभिभावक को हस्तगत करा दें तथा डुप्लीकेट प्रति विद्यालय में रखें। साथ ही यह परामर्श दिया जाये कि अभिभावक सम्बन्धित पी0एच0सी0/ब्लाक सी0एच0सी0 पर बच्चे को मेडिकल परीक्षण/उपचार के लिए ले जायें। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सभी अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 को निर्देश दें कि गुलाबी रंग की रेफरल स्लिप के साथ आने वाले छात्रों का उपचार प्राथमिकता पर हो और इनका रिकार्ड अलग से रखा जाय तथा इसकी मासिक रिपोर्ट जनपद मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। रोगी छात्र को उपचार मिल जाने पर विद्यालय में उपलब्ध डुप्लीकेट रेफरल स्लिप को प्रशिक्षित शिक्षक पूर्ण करके उसका अंकन रजिस्टर पर करेंगे। विद्यालय के प्रशिक्षित शिक्षक अपनी ब्लॉक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में समस्त रिपोर्ट ए0बी0एस0ए0 को उपलब्ध करायेंगे, जिसमें उपचारित/चश्मे प्राप्त करने वाले बच्चों का विवरण भी होना चाहिए।

इस विजिट के दौरान "मिड डे मील" बनाने वाले रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाये और उन्हें भी छमाही डिवर्मिंग की गोली अनिवार्य रूप से दी जायें।

विद्यालयों में लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता

जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य रजिस्टर एवं प्रत्येक बच्चे को दिये जाने वाले स्वास्थ्य कार्ड एवं रेफरल स्लिप की पर्याप्त प्रतियाँ उपलब्ध कराये गये प्रोटोटाइप एवं नीचे दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार छपवाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बी0एस0ए0) के माध्यम से सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को उपलब्ध करा दी जाये। विगत वर्ष प्रत्येक ब्लॉक के अन्तर्गत 60 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यक्रम संचालित किया गया था। उक्त विद्यालयों हेतु नये रजिस्टर्स, आवश्यकतानुसार रेफरल स्लिप एवं कतिपय हेल्थ कार्ड जो संभवतः खो अथवा नष्ट हो गये हों, को पुनः छपवाकर उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 300.00 प्रति स्कूल का प्राविधान किया जा रहा है। इस वर्ष चयनित 10 स्कूल प्रति ब्लॉक के लिए रजिस्टर, बाल स्वास्थ्य कार्ड व रेफरल स्लिप छपवाकर उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 500.00 प्रति स्कूल का प्राविधान किया जा रहा है।

स्वास्थ्य कार्ड के स्पेसिफिकेशनः—

पेपर — कार्ड शीट 10.9 के0जी0

आकार — ए 5

रेफरल स्लिप के स्पेसिफिकेशनः—

पेपर — 70 जी0एस0एम0 मैपलिथो (Maplitho)

आकार — 10X18 सेन्टीमीटर

छपवाये गये स्वास्थ्य कार्ड एवं रेफरल स्लिप के सेम्पिल एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को अवश्य उपलब्ध कराये जायें

विद्यालय के शिक्षक कक्षा में नामांकित प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में वांछित विवरण भरकर तैयार रखेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वेइंग मशीन, हाइट मेजरिंग स्टैण्ड, विज़न चार्ट, टॉर्च आदि उपकरण पूर्व से चयनित सभी स्कूलों में उपलब्ध हों। प्रत्येक ब्लॉक में इस वर्ष के नये चयनित 10 स्कूलों हेतु उपकरणों की व्यवस्था पृथक से की जायेगी। सामान्य औषधियां (यथा पैरासीटामाल, कोट्राईमोक्साजोल, बेंजाइल बेंजोएट, एन्टीबायोटिक स्किन कीम, एलबेन्डाजाल, आयरन फोलिक एसिड (छोटी) की गोलियां, ओ0आर0एस0 पैकेट, विटामिन "ए" सीरप आदि) की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ब्लाक के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की जाएगी। आयरन फोलिक एसिड एवं डी—वर्मिंग गोलियों की व्यवस्था हेतु पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

उपर्युक्त समस्त गतिविधियों के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार धनराशि का प्राविधान हैः—

क्रमसं0	मद	इकाई	मानक/व्यक्ति
1.	संवेदीकरण कार्यशाला	जिला मुख्यालय	₹ 15,000.00
2.	जनपद स्तर पर स्वास्थ्य कार्ड एवं रेफरल स्लिप एवं रजिस्टर की व्यवस्था	—पूर्व से आच्छादित 60 स्कूल प्रति ब्लॉक —नये चयनित 10 स्कूल प्रति ब्लॉक	₹ 300.00 प्रति स्कूल रु0 500.00 प्रति स्कूल
3.	चिकित्सकीय दल हेतु मोबिलिटी	समस्त 70 स्कूल प्रति ब्लॉक	₹ 300.00 एक वार्षिक विजिट हेतु

शिक्षकों का प्रशिक्षण

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जनपदीय नोडल अधिकारी, डी0पी0एम0 एवं डी0सी0एम0 द्वारा वर्ष 2010—11 में जनपद स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण (ToT) आयोजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से एक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर एवं शिक्षा विभाग के ए0बी0एस0ए0 को प्रशिक्षित किया गया। इन तीनों अधिकारियों द्वारा ब्लॉक के अंतर्गत आच्छादित 40 स्कूलों से दो—दो शिक्षकों को विकास खण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसके मॉड्यूल जनपदों में उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यदि किसी कारणवश कतिपय जनपदों में शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया जा सका है तो, वर्ष 2011—12 में ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण सत्रों में ऐसे छूटे हुए विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होगा।

विगत वर्ष की भांति ही इस वर्ष प्रत्येक ब्लॉक के 20 विद्यालयों (जो वर्ष 2010–11 में कार्यक्रम में जोड़े गये हैं) तथा इस वर्ष हेतु चयनित नए 10 विद्यालय प्रति विकास खण्ड के दो–दो शिक्षकों को विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2010–11 में प्रशिक्षण माड्यूल्स महानिदेशक, परिवार कल्याण के स्तर से जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष नवीन चिन्हित स्कूलों (10 स्कूल प्रति ब्लॉक) के लिए माड्यूल्स की आपूर्ति शीघ्र की जाएगी।

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन का विवरण निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित किया जाय:–

ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण के आयोजन की तिथि	प्रशिक्षकों के नाम व पदनाम

प्रशिक्षण सत्रों के संचालन के सम्बंध में विगत वर्ष विस्तृत दिशा–निर्देश भेजे जा चुके हैं। साथ ही प्रशिक्षण माड्यूल में पुनः दिशा–निर्देश, एजेण्डा आदि सम्मिलित किए गए हैं जिसके अनुसार ही समस्त कार्यवाही की जानी है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण का कैलेण्डर

प्रत्येक ब्लॉक के 30 स्कूलों से दो–दो शिक्षकों को एक बैच में दिनांक 5–24 सितम्बर, 2011 के मध्य प्रशिक्षित किया जाय। प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण बैच का अनुश्रवण डिवीजनल पी0एम0, डी0पी0एम0, डी0सी0एम0, डी0ए0एम0 अथवा ब्लॉक मैनेजर द्वारा किया जाना अनिवार्य है। उनके द्वारा प्रशिक्षण सत्र की रिपोर्ट (उपस्थिति विवरण, फोटो सहित) एस0पी0एम0यू0 को भेजी जायेगी।

क्रमसं0	मद	इकाई	मानक / व्यक्ति
1.	ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों का मानदेय	ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, प्रोग्राम मैनेजर, ए0बी0एस0ए0	मानदेय ₹ 250.00 स्वल्पाहार ₹ 50.00
2.	शिक्षकों का मानदेय	दो शिक्षक प्रति स्कूल 30 स्कूल प्रति ब्लॉक	कुल धनराशि ₹ 250 / शिक्षक x 2 दिवस (मानदेय ₹ 100, स्वल्पाहार ₹ 50, टी0ए0 ₹ 50, स्टेशनरी ₹ 30, कन्टीन्जेन्सी ₹ 20)

प्रशिक्षण हेतु धनराशि तभी अवमुक्त की जाएगी, जब जनपदीय माइक्रोप्लान के साथ प्रशिक्षण का प्लान भी उपलब्ध हो जाएगा। पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार उपर्युक्त प्लान ई–मेल द्वारा एस0पी0एम0यू0 को यथाशीघ्र भेजा जाय, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2011 है।

कार्यक्रम की रिपोर्टिंग

कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्टिंग किये जाने हेतु विभिन्न प्रपत्र आपको उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक स्तर की गुणवत्तापरक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाये। बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के रजिस्टर एवं बाल स्वास्थ्य कार्ड पर समस्त प्रविष्टियां पहले से कर ली जायें, जिससे चिकित्सकीय दल द्वारा बच्चों की

शारीरिक जाँच के साथ–साथ आवश्यक विवरण रजिस्टर एवं बाल स्वास्थ्य कार्ड में उसी समय भरा जाए।

प्रत्येक बच्चे के लिए तैयार किया गया स्वास्थ्य कार्ड प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में संरक्षित रखा जायेगा और छः माह के उपरान्त होने वाले परीक्षण के समय इसी कार्ड पर आगे प्रविष्टियाँ की जायेंगी। विद्यालयों से कार्यक्रम की नियमित रिपोर्ट (उपचारित छात्रों के विवरण सहित) का प्रेषण ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई पर कराये जाने के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक को आवश्यक निर्देश दिये जायें, जो ए0बी0एस0ए0 की मासिक बैठक में शिक्षकों के माध्यम से यह रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा संकलित रिपोर्ट जनपद मुख्यालय को भेजी जायेगी।

कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार

कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री की व्यवस्था राज्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रोटोटाइप तैयार किये जा रहे हैं। ये प्रोटोटाइप दिशा–निर्देशों के साथ शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इसके लिए धनराशि भी पृथक से अवमुक्त की जाएगी।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

यह कार्यक्रम जनपदीय नोडल अधिकारी, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संचालित होगा और इनकी त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी तथा संचालन में आई समस्या से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जायेगा, जिससे कि उसका निराकरण हो सके।

जनपद के विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं अन्य जनपदीय अधिकारियों, जनपदीय कम्युनिटी मोबिलाइजर, जनपदीय प्रोग्राम मैनेजर द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 5 प्रतिशत विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जायेगा। इसी प्रकार ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर–एन0आर0एच0एम0 तथा ब्लॉक के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत विद्यालयों का पर्यवेक्षण किया जायेगा। भ्रमण के दौरान विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रधानाध्यापक/शिक्षकों से वार्ता कर सत्यापन प्रपत्र (पूर्व में उपलब्ध कराया गया) भरा जाये। जनपदीय कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा प्रत्येक माह भरे गये सत्यापन प्रपत्रों को संकलित कर उसकी रिपोर्ट जनपदीय नोडल अधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिनका उत्तरदायित्व होगा कि वे आपके माध्यम से पर्यवेक्षण रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित करें। जनपद में शिक्षा विभाग के प्रत्येक ब्लॉक पर तैनात ए0बी0एस0ए0 द्वारा भी क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जाना है, जिसके लिए जनपद स्तरीय बैठकों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ए0बी0एस0ए0 हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करवाये जायं।

कार्यक्रम के समुचित संचालन एवं अनुश्रवण के लिए सत्यापित किये जाने योग्य प्रबन्धन संकेतक (**VIM**) चिन्हित किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

VIM-Verifiable Indicators for Management

Activity – A.4.2 School Health programmes
VIM Indicators: 1. Detailed microplans to be submitted by 31 July, 2011. 2. District level workshops to be organized in 3rd/4th week of August, 2011. 3. Training to be conducted as per schedule. DPM/ DCM to monitor 50% training sessions. 4. Printing of health cards and referral slips to be done and samples of both to be submitted to SPMU within 15 days of receiving the budget. 5. Medical team visits to all 70 schools per block.
Guidelines for VIM: 1. District level workshop to be chaired by DM/CDO/ADM (75% Budget of workshop being released). Video/photo clippings of the workshop with brief report by DPM to be submitted to SPMU within a week of organizing the workshop. For this Divisional Programme Manager is being made responsible, who should attend every district level workshop. 2. Budget for training is being released with the condition that training plan is submitted by 31st July, 2011 and video/photo clippings to be submitted to SPMU by DPM/DCM within a week of conducting the training. 3. Budget for printing of health cards and referral slips is being released with the condition that sample of the same be submitted to SPMU within 15 days of receiving the budget. 4. 50 % release for mobility of medical team visits. Next installment on submitting expenditure statement along with physical report of date wise medical team wise visits. 5. 5% of the monthly target of schools to be verified by District level officers /DPM/DCM on verification format-7 A, which should be compiled by DCM every month and submitted to SPMU. 10% of the monthly target of schools under a block to be verified by Block MOIC/Block Manager/ Health Supervisor at the block.

Monitoring

Format I: To be filled in by Medical teams visiting schools

Block wise records to be maintained at District level. To be provided to State as and when required.

Format-I: To be submitted to CMO

Name of Block--------------------------------

Name of Block MOIC----------------------------------

Report for the month of----------------------

S.No	Date of visit	Name of the School visited	Name of Principal of the school	Phone no of Principal of the school	No. of children examined (attach list by name as annexure)	Name of team members who visited school	Registration No. of vehicle used	Name and the phone no. of driver

Signature of MOIC

Format-II: To be submitted to CMO for 5% to 10% verification of schools visited by Medical teams

5% to 10% of the medical team visits to be verified by District level officers /DPM/DCM/Block Managers and Supervisors as per guidelines. Block wise details to be maintained at District level and compiled report to be sent to SPMU every month.

S. N	Name of the school visited	Date of visit	No. of children enrolled	No. of children examined by Medical team	No. of children referred to higher center with referral slip	Availability of iron and de-worming tablets (Y/N and Adequate/inadequate)	Maintenance of register (proper/ improper)	Health cards (properly filled) Yes/No	Remarks

Signature of visiting officer

(Name & Designation)

Format-III: 10% certification of items received by School Principal (to be collected by verfification team).

The Block wise details to be maintained at District and compiled report to be sent to State.

S.N.	Name of school	Name of the Principal	Items received	Date of receiving

Signature of School Principal & Stamp

2011-12: School Health Programme - Programme Part

FMR Code A.4.2

Contingency for printing of Health Card/Referral Cards, etc. for old and new schools, Mobility Support to Health Team (Rs in lacs)

Activities

S.No	District	Blocks	No. of Schools to be covered/ year (70 schools per block)	Sensitization workshop at district (@15000 per district)	75% of budget released for Sensitization workshop	Budget for Contingencies for printing of Health Card, etc. (@Rs.300/- per school for 60 Schools/Block)	Budget for Contingencies for printing of Health Card, etc. (@Rs.500/- per school for 10 New Schools/Block)	Budget for Mobility (@Rs.300 per visit x 1 visit per school)	50% of the Budget being released for Mobility	Total Budget
	1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	(4a+5+6+7a)
1	Agra	15	1050	0.15	0.11	2.70	0.75	3.15	1.58	5.14
2	Aligarh	12	840	0.15	0.11	2.16	0.60	2.52	1.26	4.13
3	Allahabad	20	1400	0.15	0.11	3.60	1.00	4.20	2.10	6.81
4	Ambedkar Nagar	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13
5	Auraiya	7	490	0.15	0.11	1.26	0.35	1.47	0.74	2.46
6	Azamgarh	22	1540	0.15	0.11	3.96	1.10	4.62	2.31	7.48
7	Badaun	18	1260	0.15	0.11	3.24	0.90	3.78	1.89	6.14
8	Baghpat	6	420	0.15	0.11	1.08	0.30	1.26	0.63	2.12
9	Bahraich	14	980	0.15	0.11	2.52	0.70	2.94	1.47	4.80
10	Ballia	17	1190	0.15	0.11	3.06	0.85	3.57	1.79	5.81
11	Balrampur	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13
12	Banda	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
13	Barabanki	15	1050	0.15	0.11	2.70	0.75	3.15	1.58	5.14
14	Bareilly	15	1050	0.15	0.11	2.70	0.75	3.15	1.58	5.14
15	Basti	14	980	0.15	0.11	2.52	0.70	2.94	1.47	4.80
16	Bhadohi	6	420	0.15	0.11	1.08	0.30	1.26	0.63	2.12
17	Bijnor	11	770	0.15	0.11	1.98	0.55	2.31	1.16	3.80
18	Bulandshahar	16	1120	0.15	0.11	2.88	0.80	3.36	1.68	5.47
19	Chandauli	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13

	1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	(4a+5+6+7a)
20	Chhatrapati Sahuji Maharaj Nagar	16	1120	0.15	0.11	2.88	0.80	3.36	1.68	5.47
21	Chitrakoot	5	350	0.15	0.11	0.90	0.25	1.05	0.53	1.79
22	Deoria	16	1120	0.15	0.11	2.88	0.80	3.36	1.68	5.47
23	Etah	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
24	Etawah	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
25	Faizabad	11	770	0.15	0.11	1.98	0.55	2.31	1.16	3.80
26	Farrukhabad	7	490	0.15	0.11	1.26	0.35	1.47	0.74	2.46
27	Fatehpur	13	910	0.15	0.11	2.34	0.65	2.73	1.37	4.47
28	Ferozabad	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13
29	GB Nagar	4	280	0.15	0.11	0.72	0.20	0.84	0.42	1.45
30	Ghaziabad	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
31	Ghazipur	16	1120	0.15	0.11	2.88	0.80	3.36	1.68	5.47
32	Gonda	16	1120	0.15	0.11	2.88	0.80	3.36	1.68	5.47
33	Gorakhpur	19	1330	0.15	0.11	3.42	0.95	3.99	2.00	6.48
34	Hamirpur	7	490	0.15	0.11	1.26	0.35	1.47	0.74	2.46
35	Hardoi	19	1330	0.15	0.11	3.42	0.95	3.99	2.00	6.48
36	Hathras	7	490	0.15	0.11	1.26	0.35	1.47	0.74	2.46
37	Jalaun	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13
38	Jaunpur	21	1470	0.15	0.11	3.78	1.05	4.41	2.21	7.15
39	Jhansi	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
40	JP Nagar	6	420	0.15	0.11	1.08	0.30	1.26	0.63	2.12
41	Kannauj	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
42	Kanpur (Dehat)	10	700	0.15	0.11	1.80	0.50	2.10	1.05	3.46
43	Kanpur (Nagar)	10	700	0.15	0.11	1.80	0.50	2.10	1.05	3.46
44	Kanshi Ram Ngr	7	490	0.15	0.11	1.26	0.35	1.47	0.74	2.46
45	Kaushambi	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
46	Kushinagar	14	980	0.15	0.11	2.52	0.70	2.94	1.47	4.80
47	Lakhimpur Khiri	15	1050	0.15	0.11	2.70	0.75	3.15	1.58	5.14

	1	2	3	4	4a	5	6	7	7a	(4a+5+6+7a)
48	Lalitpur	6	420	0.15	0.11	1.08	0.30	1.26	0.63	2.12
49	Lucknow	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
50	Maharajganj	12	840	0.15	0.11	2.16	0.60	2.52	1.26	4.13
51	Mahoba	4	280	0.15	0.11	0.72	0.20	0.84	0.42	1.45
52	Mainpuri	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13
53	Mathura	10	700	0.15	0.11	1.80	0.50	2.10	1.05	3.46
54	Mau	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13
55	Meerut	12	840	0.15	0.11	2.16	0.60	2.52	1.26	4.13
56	Mirzapur	12	840	0.15	0.11	2.16	0.60	2.52	1.26	4.13
57	Moradabad	13	910	0.15	0.11	2.34	0.65	2.73	1.37	4.47
58	Muzzafarnagar	14	980	0.15	0.11	2.52	0.70	2.94	1.47	4.80
59	Pilibhit	7	490	0.15	0.11	1.26	0.35	1.47	0.74	2.46
60	Pratapgarh	17	1190	0.15	0.11	3.06	0.85	3.57	1.79	5.81
61	Raebareilly	15	1050	0.15	0.11	2.70	0.75	3.15	1.58	5.14
62	Rampur	6	420	0.15	0.11	1.08	0.30	1.26	0.63	2.12
63	Saharanpur	11	770	0.15	0.11	1.98	0.55	2.31	1.16	3.80
64	Sant Kabir Nagar	9	630	0.15	0.11	1.62	0.45	1.89	0.95	3.13
65	Shahjahanpur	15	1050	0.15	0.11	2.70	0.75	3.15	1.58	5.14
66	Shrawasti	5	350	0.15	0.11	0.90	0.25	1.05	0.53	1.79
67	Siddharthanagar	14	980	0.15	0.11	2.52	0.70	2.94	1.47	4.80
68	Sitapur	19	1330	0.15	0.11	3.42	0.95	3.99	2.00	6.48
69	Sonbhadra	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
70	Sultanpur	13	910	0.15	0.11	2.34	0.65	2.73	1.37	4.47
71	Unnao	16	1120	0.15	0.11	2.88	0.80	3.36	1.68	5.47
72	Varanasi	8	560	0.15	0.11	1.44	0.40	1.68	0.84	2.79
Total for Districts		**820**	**57400**	**10.80**	8.10	**147.60**	**41.00**	**172.20**	86.10	**282.80**

CONDITIONS a Video Recording of the sensitization workshops to be done and CDs submitted to SPMU within a week.

b The budget shown in Column-5 is for new registers in 60 old schools/block & for replacement of health cards, which are lost/damaged.

c The budget shown in Column-6 is for new schools, to be taken up this year in each block.

2011-12: School Health Programme: Training of Teachers   FMR Code:A4.2

District Allocation -

(Rs. In Lacs)

Sl.	District	Blocks (as per RD Dept)	No. of Schools to be covered/ year (30 schools per block)	Block Resource Person (@300* 3persons*2days)	Honorarium to teachers trained [@250*2persons*2days per school]	Total Budget
		1	2	3	4	(3+4)
1	Agra	15	450	0.27	4.50	4.77
2	Aligarh	12	360	0.22	3.60	3.82
3	Allahabad	20	600	0.36	6.00	6.36
4	Ambedkar Nagar	9	270	0.16	2.70	2.86
5	Auraiya	7	210	0.13	2.10	2.23
6	Azamgarh	22	660	0.40	6.60	7.00
7	Badaun	18	540	0.32	5.40	5.72
8	Baghpat	6	180	0.11	1.80	1.91
9	Bahraich	14	420	0.25	4.20	4.45
10	Ballia	17	510	0.31	5.10	5.41
11	Balrampur	9	270	0.16	2.70	2.86
12	Banda	8	240	0.14	2.40	2.54
13	Barabanki	15	450	0.27	4.50	4.77
14	Bareilly	15	450	0.27	4.50	4.77
15	Basti	14	420	0.25	4.20	4.45
16	Bhadohi	6	180	0.11	1.80	1.91
17	Bijnor	11	330	0.20	3.30	3.50
18	Bulandshahar	16	480	0.29	4.80	5.09
19	Chandauli	9	270	0.16	2.70	2.86
20	Chhatrapati Sahuji Maharaj Nagar	16	480	0.29	4.80	5.09
21	Chitrakoot	5	150	0.09	1.50	1.59
22	Deoria	16	480	0.29	4.80	5.09
23	Etah	8	240	0.14	2.40	2.54
24	Etawah	8	240	0.14	2.40	2.54

Sl.	District	Blocks (as per RD Dept)	No. of Schools to be covered/ year (30 schools per block)	Block Resource Person (@300* 3persons*2days)	Honorarium to teachers trained [@250*2persons*2days per school]	Total Budget
25	Faizabad	11	330	0.20	3.30	3.50
26	Farrukhabad	7	210	0.13	2.10	2.23
27	Fatehpur	13	390	0.23	3.90	4.13
28	Ferozabad	9	270	0.16	2.70	2.86
29	GB Nagar	4	120	0.07	1.20	1.27
30	Ghaziabad	8	240	0.14	2.40	2.54
31	Ghazipur	16	480	0.29	4.80	5.09
32	Gonda	16	480	0.29	4.80	5.09
33	Gorakhpur	19	570	0.34	5.70	6.04
34	Hamirpur	7	210	0.13	2.10	2.23
35	Hardoi	19	570	0.34	5.70	6.04
36	Hathras	7	210	0.13	2.10	2.23
37	Jalaun	9	270	0.16	2.70	2.86
38	Jaunpur	21	630	0.38	6.30	6.68
39	Jhansi	8	240	0.14	2.40	2.54
40	JP Nagar	6	180	0.11	1.80	1.91
41	Kannauj	8	240	0.14	2.40	2.54
42	Kanpur (Dehat)	10	300	0.18	3.00	3.18
43	Kanpur (Nagar)	10	300	0.18	3.00	3.18
44	Kanshi Ram Ngr	7	210	0.13	2.10	2.23
45	Kaushambi	8	240	0.14	2.40	2.54
46	Kushinagar	14	420	0.25	4.20	4.45
47	Lakhimpur Khiri	15	450	0.27	4.50	4.77
48	Lalitpur	6	180	0.11	1.80	1.91
49	Lucknow	8	240	0.14	2.40	2.54
50	Maharajganj	12	360	0.22	3.60	3.82
51	Mahoba	4	120	0.07	1.20	1.27
52	Mainpuri	9	270	0.16	2.70	2.86
53	Mathura	10	300	0.18	3.00	3.18

Sl.	District	Blocks (as per RD Dept)	No. of Schools to be covered/ year (30 schools per block)	Block Resource Person (@300* 3persons*2days)	Honorarium to teachers trained [@250*2persons*2days per school]	Total Budget
54	Mau	9	270	0.16	2.70	2.86
55	Meerut	12	360	0.22	3.60	3.82
56	Mirzapur	12	360	0.22	3.60	3.82
57	Moradabad	13	390	0.23	3.90	4.13
58	Muzzafarnagar	14	420	0.25	4.20	4.45
59	Pilibhit	7	210	0.13	2.10	2.23
60	Pratapgarh	17	510	0.31	5.10	5.41
61	Raebareilly	15	450	0.27	4.50	4.77
62	Rampur	6	180	0.11	1.80	1.91
63	Saharanpur	11	330	0.20	3.30	3.50
64	Sant Kabir Nagar	9	270	0.16	2.70	2.86
65	Shahjahanpur	15	450	0.27	4.50	4.77
66	Shrawasti	5	150	0.09	1.50	1.59
67	Siddharthanagar	14	420	0.25	4.20	4.45
68	Sitapur	19	570	0.34	5.70	6.04
69	Sonbhadra	8	240	0.14	2.40	2.54
70	Sultanpur	13	390	0.23	3.90	4.13
71	Unnao	16	480	0.29	4.80	5.09
72	Varanasi	8	240	0.14	2.40	2.54
Total		**820**	**24600**	**14.76**	**246.00**	**260.76**

CONDITIONS -

a Training Sessions to be organized as per training calendar.

b Video recording of the training sessions to be done & CDs submitted to SPMU within a week.

c Block Manager to submitt training report to DCM on the same day, who will compile and report to SPMU by E-mail.

प्रत्येक जनपद से इस कार्यक्रम की मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं महाप्रबन्धक (स्कूल हेल्थ), एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को प्रत्येक दशा में अगले माह की 3 तारीख तक प्रेषित की जाये।

<u>वित्त पोषणः—</u>

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यकम का वित्त पोषण आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ0एम0आर0 कोड ए 4.2 पर दर्शाया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी से धनराशि अनुमोदित कराना अनिवार्य है।

आपसे अनुरोध है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यकम का समुचित क्रियान्वयन उपरोक्त वित्तीय मानकानुसार करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(मोहम्मद मुस्तफा)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :—एस0पी0एम0यू0/14/नियोजन/2011—12/ **तद्‌दिनॉक**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त निदेशक—आर0सी0एच0 को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रत्येक माह जनपदों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करें।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0/समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ
6. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, स्कूल हेल्थ/समस्त डी0पी0एम0—एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0

(लोकेश कुमार)
महाप्रबन्धक—प्रशासन